संख्या-132/2026/आई/1349894/2026/001-23-9002-002-18-2026

प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2026

विषय -वित्तीय वर्ष 2026-27 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में विभिन्न जनपदों के 05 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु लैप्स धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0- 570/सामान्य-सेतु-31/2026-27 दिनांक 19-05-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 05 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 1645.02 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 1296.11 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 348.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की लैप्स धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/प्रावैधिक स्वीकृति लागत	बचत	अब तक कुल आवंटन	लैप्स धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सेतु निगम कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत विधान सभा चायल से कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोडते हुये उक्त मार्ग(राज्य मार्ग) सं0-95 मनौरी सराय अंकित कौशाम्बी मार्ग) के कि0मी0 28.170 पर ससुर खदेरी नदी पर दो लेन सेतु के निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08नाबार्ड (सेतु)/2020, दिनांक 27-03-2020	420.50 420.50	0.00	420.50	23.67	18.65	5.02	23.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	सेतु निगम फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में इलाहाबाद लखनऊ राज्य मार्ग पर जोडने हेतु गंगा नदी पर ऊँचाहार नौबस्ता घाट खागा (फतेहपुर)मार्ग पर प्रस्तावित सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	14/2019/ 347/23-9-2019-19नाबार्ड(सेतु)/2017 दिनांक 02-03-2019	8556.85 / 8536.60	20.25	8517.65	82.41	64.93	17.48	82.41
3	सेतु निगम चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में कलवरिया टेरा मार्ग पर वाल्मीकि नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग,सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	76/2020/ 427/23-9-2020-08नाबार्ड (सेतु)/2020, दिनांक 27-03-2020	646.33 / 623.66	2267	537.46	16.57	13.06	3.51	16.57
4	सेतु निगम आगरा	जनपद आगरा में एन0एच0-2 पर हीरालाल प्याऊ से पनवारी मार्ग पर आगरा-पलवल रेल सेक्षन में रेलवे किमी0 1358/05-09 के रेल सम्पार सं0 507 पर 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	09/2022/ आई/130016/2022-23-9099/3474/2020-दिनांक-06-01-2022	3966.61 / 2875.30	123.86	2875.30	139.21	109.68	29.53	139.21
5	सेतु निगम प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में नारी बारी-कोराव मार्ग पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के बगल में टोंस नदी पर 02 लेन सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	161/2020 /1057/23-9-2020-08 नाबार्ड(सेतु) /2019 दिनांक 11-12-2020	6256.23 / 6215.42	40.81	6215.42	1383.16	1089.79	293.37	1383.16
			योग					1296.11	348.91	1645.02

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।।

(4) स्तम्भ -4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 12,96,11,000(रुपये बारह करोड़ छियानबे लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 3,48,91,000 (रुपये तीन करोड़ अडतालिस लाख इक्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सोमनाथ

संयुक्त सचिव।

संख्या-132/2026/आई/1349894/2026(1)/001-23-9002-002-18-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।

4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

8- प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।

10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

14- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।